Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Anil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 18 Date 11.02.2020

प्रेस विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–5066 दिनांक–11.04.19 द्वारा निर्गत आदेश से माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का हवाला देकर राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जानेवाली सभी प्रोन्नतियों एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी गयी थी, किन्तु सामान्य प्रशासन की अधिसूचना संख्या-17634, दिनांक–27.12.2019 एवं 17635, दिनांक–27.12.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के कुल 122 पदाधिकारियों को प्रोन्नति देने का आदेश निर्गत किया गया है।

इससे यह प्रतीत होता है कि या तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रोन्नति पर रोक नहीं लगायी गयी है, या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्रांक–5066 दिनांक–11.04.19 से निर्गत आदेश त्रुटिपूर्ण है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विचारोपरान्त दिनांक–09.02.2020 को बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन की केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:–

1. बिहार सरकार के महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप–मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् सहित अन्य माननीय मंत्रियों से मिलकर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के प्रोन्नति मामलों सहित अन्य मामलों पर न्यायपूर्ण निर्णय हेतु दिनांक–23.02.2020 तक ज्ञापन सौंपा जाय।

2. यदि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति के संबंध में विभाग द्वारा यथोचित निर्णय नहीं लिया जाता है, तो मार्च, 2020 में प्रतीकात्मक विरोध के रूप में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीगण द्वारा एक दिन काला बिल्ला लगाकर सरकारी कार्यों का निष्पादन किया जायेगा।

3. इसके बावजूद यदि अगर प्रोन्नति के संबंध में यथोचित निर्णय नही लिया जाता है, तो अप्रैल, 2020 में कार्यकारिणी की बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी तथा अगली रणनीति तय की जायेगी।

4. समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पटना में जल–जमाव के संबंध में गठित उच्चस्तरीय जाँच दल की अनुशंसा के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम दृष्टया, नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी के कार्य क्षेत्र में जल–जमाव की स्थिति सामान्य थी, किन्तु उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की सूचना प्राप्त है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन की केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा उच्चस्तरीय जाँच दल

द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त कर इसकी समीक्षा की जाएगी तथा गुण एवं दोष के आधार पर तीनों पदाधिकारियों के निलंबन के निर्णय के विषय पर अगली रणनीति के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

विश्वासभाजन

11/2/2020

(अनिल कुमार)

विश्वासभाजन

11/2/2020

(शशांक शेखर सिन्हा)